न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 38 / 2019 / प्रथम अपील

किशन लाल शर्मा पुत्र स्व0 हरिशंकर जोशी, मण्डा चौराहा खाटूश्यामजी, जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **किशन लाल शर्मा** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **31.05.2019** द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई हैं :–

    1) पी. डी. अकाउन्ट नम्बर 473 H.B.A. Loans की सम्पूर्ण प्रति। 8443–00–106–00–00 व्यक्तिगत जमा।

    2) NDC पत्रावली की नकल पत्रावली किशन लाल शर्मा समप्त पत्रों की प्रति। SBI HBA Loan A/c No CBS 519997669763

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से कनिष्ठ लेखाकार श्रीमती सावित्री उपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **23.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दू संख्या 1 में भवन ऋण सम्बन्धी व्यक्तिगत जमा की चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। बिन्दु संख्या 2 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय के पत्र दिनांक 05.09.2019 तथा 07.10.2019 से उपलब्ध करवा दी गई है पी. डी. खाते मे जमा राशि का विवरण अन्य कार्मिकों की

व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(J) के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपील निरस्त फरमाने का श्रम करें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाज से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई स्वयं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पी.डी. खाते मे जमा राशि का विवरण अन्य कार्मिकों की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(J) के तहत दिया जाना बाध्य नहीं है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर